

बादा व उनके वकील उपस्थित। विपक्षी उपस्थित/अनुपस्थित। प्रकरण को लोक अदालत में रैफर करने के लिए सहमत है। अतः प्रकरण को लोक अदालत में रैफर किया जाता है। पक्षकारान दिनांक 21.6.17 को लोक अदालत के समक्ष उपस्थित रहे।

21.6.17 आज पत्रावली राजाजी के पक्ष में पेश हुई। पक्षकारों ने कोर्ट/लोक अदालत में पेश नहीं हो सके थे। पत्रावली खारिज। दिनांक 28.7.17 को पेश रहे।

28.07.17 वकील उमयपक्ष उपा। बहल व. देवु सम्य चहर। पत्रा वास्ते बहल व. 07 RILPC दि. 30.08.17 को पेश हो।

30.08.17 वकील उमयपक्ष उपा। पत्रा न. 1 से संबंधित दावा Not Press में खारिज किया जा चुका है। अतः दावा के अनुसार प्रथम पत्र न. 1 खारिज की जाती है। पत्रावली फेसलसुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील संलग्न मूल वाद रहे।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट गंगापूर सिटी (मं०मा०)